

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 95] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 17, 1973/फाल्गुन 26, 1894

No. 95] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 17, 1973/PHALGUNA 26, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

ORDERS

New Delhi, the 12th March 1973

S.O. 150.(E)—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its/their language versions to the effect of the description specified against it/each in column 6 of the said schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
I.N.R. No. 1269 (Northern Edition),	301.75 Metres	Film Division Government of India, 24-Peddar Road, Bombay- 26		Film dealing with news & current events (For release in Northern States	

1	2	3	4	5	6
					viz. Haryana, J&K, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan, U.P., Andaman & Nicobar Islands, Dadra and Nagar Haveli Admn. Delhi Administration Himachal & Pondicherry).

[No. F. 28/4/73-FP. APP. 1766.]

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 मार्च, 1973

एस० ओ० 150 (अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है
-------------	--------------	-------------------	--------------	-----------------	---

1	2	3	4	5	6
1	भारतीय समाचार समीक्षा स० 1269 (उत्तरी संस्करण)	301.75 मीटर	भारत सरकार, 24, पैडर रोड, बम्बई-26	भारत समाचार और घटनाओं की फिल्म	भारत समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल उत्तरी प्रदेशों हरियाणा, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अण्डमान और निकोबार टापू, वाद्रा और नागर हवेली प्रशासन, दिल्ली प्रशासन, पांडीचेरी और हिमाचल प्रदेश)।

S.O. 151(I).—In pursuance of the directions issued under the provisions of each of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the film/films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in Gujarati to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

- (1) Sub-section 4 of section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).
- (2) Sub-section (3) of Section and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulations) Act, 1953 (Bombay Act XVII of 1953).
- (3) Sub-section (4) of Section 5 and Section 9 of the Saurashtra Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Saurashtra Act XVII of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or film intended for educational purposes or a film dealing with news & current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
I	Mahiti Chitru No. 158.	289.56 Metres	Director of Information Government of Gujarat Sachivalaya, Block No. 8 Gandhi Nagar,		Film dealing with news and current events (For release in Gujarat Circuit only).

[No. F. 28/4/73-FP. App. 1767.]

एस० नो० 151 (अ).—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके गुजराती भाषा रूपान्तर सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

- (1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37 वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16.
- (2) बम्बई सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 17 वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9.
- (3) सौराष्ट्र सिनेमा (विनियम) अधिनियम 1953 (1953 का 17 वां सौराष्ट्र अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (4) तथा धारा 9.

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदन का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है ।
-------------	--------------	----------------------------	--------------	-----------------	---

1	2	3	4	5	6
1	महिन्ती चित्र संख्या 158	289.56 मीटर	सूचना निदेशक, सरकार, सचिवालय, ब्लाक नं० 8, गांधी नगर ।	गुजरात समाचार और घटनाओं से सम्बन्धित फिल्म (केवल गुजरात सर्किट के लिए)	

[संख्या फा० 28/4/73-एफ० पी०-परिशिष्ट 1767]

S.O. 152 (E).—In pursuance of the directions issued under the provisions of the enactments specified in the First Schedule annexed hereto, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Second Schedule annexed hereto in all its/their language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said second Schedule.

THE FIRST SCHEDULE

- (1) Sub-Section (4) of Section 12 and Section 16 of the Cinematograph Act, 1952 (Central Act XXXVII of 1952).
- (2) Sub-Section (3) of Section 5 and Section 9 of the Bombay Cinemas (Regulation) Act, 1953 (Bombay Act XI of 1953).

THE SECOND SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and Current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1.	Maharashtra News No. 248 (January 73)	301.00 Metres. [	Director of Publicity Government of Maharashtra 68-Tardeo Road, Bombay-34.		Film dealing with news and current events (For release in Maharashtra Circuit only.)

एस० ओ० 152 (अ).—इसके साथ लगी प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किये गये निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी द्वितीय अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भाषाओं के रूपान्तर सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त द्वितीय अनुसूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है :—

प्रथम अनुसूची

- (1) चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37 वां केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 12 की उपधारा (4) तथा धारा 16.
- (2) बम्बई सिनेमा (अधिनियम) अधिनियम—1953 (1953 का 11 वां बम्बई अधिनियम) की धारा 5 की उपधारा (3) तथा धारा 9.

द्वितीय अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि० मी०	अ वेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है ।
-------------	--------------	----------------------------	---------------	-----------------	---

1	2	3	4	5	6
1	महाराष्ट्र समाचार संख्या 248. (जनवरी, 73)	301.00 मीटर	प्रचार, निदेशक, सरकार, फिल्म सेंटर, 68—तारदेव रोड, बम्बई-34.	महाराष्ट्र सेंटर, रोड,	समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल महाराष्ट्र सकल के लिए)

[संख्या फा० 28/4/73 एफ०पी० परिशिष्ट 1768]

S.O. 153(E).—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S. O. 3792 dated the 2nd December 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its language versions to be of the description specified against it/each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film.	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film.
1	2	3	4	5	6
1.	I.N.R. No. 1269	200.55 Metres	Films Division Government of India 24-Peddar Road, Bombay-26.		Film dealing with news and current events.
2.	I.N.R. No. 1269-A.	243.23 Metres	Do.		Do.
3.	Glimpses of India's Science and Technology at Asia-72.	244.00 Metres	Do.		Film intended for educational purposes
4.	Vikram Earth Satellite Station	297.00 Metres	Do.		Do.
.	Road to Freedom	334.30 Metres	M/s. Ram Gulabe productions 686 Manjula Nivas 16th Road Khar Bombay-52.		Do.

[No. F. 28/4/73-FP. App. 1769]

HARJIT SINGH, Under Secy.

एस० नो० 153 (अ).—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के आदेश संख्या एम० नो० 3792, तारीख 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियम के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	फिल्म की लम्बाई 35 मि० मी०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है, या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेन्ट्री फिल्म है।
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1269	200.55 फिल्म मीटर	भारत सरकार, 24 पैडर रोड, बम्बई-26।	समाचार और घटनाओं की फिल्म।	

1	2	3	4	5	6
2	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या मीटर 1269-ए॥	243.23	तथैव—		तथैव—
3	गिलम्पसेज आफ इण्डिया साइन्स मीटर एण्ड टेक्नालोजी एट एशिया-72	244.00	फिल्म प्रभाग, भारत सर- कार, 24 पैडर रोड, बम्बई-26		शिक्षा सम्बन्धी ।
4	विक्रम सटेलाइट अर्थ स्टेशन मीटर	297.00	तथैव—		तथैव—
5	रोड टु फ्रीडम मीटर !	334.30	मैमर्ज रामगवाले प्रोडक्शन्स, 686 मंजुला निवास, 16वां रोड, खार, बम्बई-52 ।		तथैव—

[संख्या० फा० 28/4/73-एफ० पी०-परिशिष्ट 1769]

हरजीत सिंह, अव्वर सचिव ।

